JDR [illegible]
पत्रावली । की गई पत्रावली
वास्ते बहस दि० 29/4/22
को पेश हो

25/4/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा "16/05/22" को पेश हो ।

16/05/22. पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील
अनुपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते
आदेश दि० 31/05/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी

31/05/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 23/8/22 को पेश हो ।

23/08/22. पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के विद्वान
अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली पर पुनः बहस
सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/08/22
को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

29/8/22 पत्रावली आज वास्ते [illegible] दोनों पक्षों
के वकील उपस्थित. आदेश [illegible] [illegible] जाकर
खुले न्यायालय सुनाया [illegible]
होकर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 103/2020

प्रार्थी

1. वधाराम वल्दमनजीराम
   जाति मेगवाल निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जीवाराम पुत्र रिडमलराम
   जाति मेगवाल निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29/8/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बीघा किस्म बारानी सोयम का सरहद मौजा सिन्धासवा चौहान पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी ने मूल खसरा नम्बर 201/4 में से रकबा 1–00 बीघा भूमि क्रय की जिसका नया खसरा नम्बर 201/12 कायम किया गया, शेष भूमि विप्रार्थी संख्या 1 ने क्रय की जिसके खसरा नम्बर 201/4 रकबा 1–09 बीघा कायम किये गये। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के खसरे का रकबा 1–00 बीघा तथा मौके पर भी 1–00 बीघा है व विप्रार्थी संख्या 1 के खसरे का राजस्व रेकर्ड में 1–09 बीघा दर्ज किया गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके कब्जे व बेचान दस्तावेज से अभिन्न कर दी गई है। । इसलिये इस गलत तरमीम की दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी[illegible] दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जबाव पेश नहीं कर सीधी बहस करने का निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 443 दिनांक 23.03.2022 प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

निवेदन किया कि प्रार्थी वधाराम पुत्र मनजीराम के नाम ग्राम सिंधासवा चौहान खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बीघाभूमि मूल खसरा नम्बर 201/4 रकबा 2–09 बीघा में से 1–00 बीघा जरिये बेचान जिसका नामान्तरकरण संख्या 726 की स्वीकृति से खसरा नम्बर201/12 रकबा 1–00 बीघा कायम हुई है। उक्त खसरा नम्बर 201/12 की तरमीम लट्ठा ट्रेस में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 726 की पुष्त पर अंकित रिमीम छजरा अनुसार ही की गई है, लेकिन मौके पर कब्जा मौका तरमीम से आंशिक भिन्न संलग्न नक्शे में दर्शाये गये बरंग नीला अनुसार है। खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बीघा में संलग्न नक्शे में बरंग नीला अनुसार नींव भरी जाकर निर्माण कार्य हेतु पक्का कब्जा कया हुआ है, पक्का कब्जा अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बीघा की तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

दौनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में आंशिक भिन्नता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बीघा की भूमि में प्रार्थी का पक्का निर्माण है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 443 दिनांक 23.03.2022 द्वारा मौजा सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 201/12 रकबा 1–00 बरंग 'नीला' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांक 443 दिनांक 23.03.2022 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करेगा। [illegible] पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी